क्रम संख्या–30

पंजीकरण संख्या–यू०ए० / डी०ओ० / डी०डी०एन० / 30 / 2018–2020

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 06 फरवरी, 2018 ई०

माघ 17, 1939 शक सम्वत्

### उत्तराखण्ड शासन

### वित्त अनुभाग–8

संख्या 145 / 2018 / 18(120) / XXVII(8) / 2017 / CTR-9

देहरादून, 06 फरवरी, 2018

### अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) (एतस्मिनपश्चात् जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप धारा (3) के साथ पठित, परिषद की सिफारिशों के आधार पर उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना सं. 973/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तारीख 23 नवम्बर, 2017 में, निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,

(1) सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 1 के समक्ष, -

(i) कॉलम (2) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः -

"सरकार द्वारा वित्त पोषित कोई अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर या क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जो चिकित्सालय से भिन्न हों"

(ii) कॉलम 4 में, 'विज्ञान एवं अनुसंधान विभाग' शब्दों के स्थान पर 'विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 2 और 4 के समक्ष कॉलम (4) में,"विज्ञान एवं अनुसंधान विभाग" शब्दों के स्थान पर "विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग"शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(2) सारणी के पश्चात, वर्तमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए स्पष्टीकरण 1 के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"स्पष्टीकरण 2 - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए दी जाने वाली छूट भारत सरकार; वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 51/96-सीमा शुल्क, दिनांक 23 जुलाई,1996, जिसे सा.का.नि. 303 (अ), दिनांक 23 जुलाई, 1996 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, की तर्ज पर ही होगी और यह 15 नवम्बर, 2017 से लागू होगी."

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No.145/2018/18(120)/XXVII(8)/2017/CTR-9,** dated Dehradun, February 06, 2018 for general information:

No. 145/2018/18(120)/XXVII(8)/2017/CTR-9
*Dated Dehradun, February 06, 2018*

NOTIFICATION

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017)(hereafter in this notification referred to as "the said Act) read with sub-section (3) of section 11 of the said Act, on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following amendments in the notification of the Government of Uttarakhand Finance section-8 No. 973/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 dated 23 November, 2017, namely:-

In the said notification, -

(1) in the Table, -

(a) against serial number 1, -

(i) in column (2), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -

"Public funded research institution or a University or an Indian Institute of Technology or Indian Institute of Science, Bangalore or a Regional Engineering College, other than a hospital";

(ii) in column (4), for the words "Department of Scientific and Research", the words "Department of Scientific and Industrial Research", shall be substituted;

(b) against serial numbers 2 and 4, in column (4), for the words "Department of Scientific and Research", the words "Department of Scientific and Industrial Research", shall be substituted.

(2) after the Table, the existing *Explanation* shall be numbered as *Explanation* 1 thereof and after Explanation 1 as so numbered, the following *Explanation* shall be inserted, namely: -

"*Explanation* 2. - For the purposes of this notification, exemption would be in line with the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 51/96- Customs, dated the 23rd July, 1996, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 303(E), dated the 23rd July, 1996 and shall be applicable from the 15th November, 2017."

By Order,

RADHA RATURI,
*Principal Secretary.*

पी०एस०यू० (आर०ई०) 27 वित्त / 112–2018–100+100 (कम्प्यूटर / रीजियो)।